आरबी/टेली 8/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टेली/11(5)/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 10.10.09.2011**

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें,
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएसएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां।
निदेशक/इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, आईआरआईटीएम,
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड,
प्रबंध निदेशक/ रेलवे के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

विषय: अधिकारियों के आवास पर सरकारी पीएसटीएन टेलीफोनों की व्यवस्था करना।

यदि पति एवं पत्नी दोनों केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत हैं और दोनों ही आवासीय टेलीफोन के हकदार हैं तो उन्हें उनके आवास पर केवल एक टेलीफोन कनेक्शन की अनुमति है। बहरहाल, पति एवं पत्नी दोनों की अलग-अलग पात्रता को जोड़ते हुए कुल कॉल सीमा बढ़ाई जाती है। इसकी कुल लागत उस मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है जो फोन लगवाता है। यह व्यवस्था वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 19.08.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 14(11)-ई (कोर्ड)177 के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार है।

2 उत्तर रेलवे ने बोर्ड से एक ऐसे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें पति एवं पत्नी में से एक केन्द्र सरकार के अधीन तथा दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/क्रिस में कार्यरत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा-1 में किया गया प्रावधान केवल उसी मामले में लागू है जहां पति/पत्नी दोनों केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत हों।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है और इससे उत्तर रेलवे के दिनांक 04.07.2011 के पत्र सं. 103-सिग/1/ऑप/पार्ट-V का निपटारा हो जाता है।

4. कृपया पावती दें।

O/C

(राकेश रंजन)
निदेशक/टेलीकॉम
फोन: 011-23388504, 030-44613
फैक्स: 011-23304690, 030-44690

TELECOM-Tele/TW